न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 17/2025

राजस्थान सरकार जरिये खेमाराम, प्रवर्तन अधिकारी केकडी, अजमेर।

........**प्रार्थी**

बनाम

श्री प्रभुलाल खटीक पुत्र श्री रतनलाल खटीक

मैसर्स जय कालिका होटल बान्दनवाडा अजमेर रोड बान्दनवाडा तहसील भिनाय जिला अजमेर।

.....**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी – पैरोकार सरकार
श्री मनीष छीपा – अभिभाषक अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 02.04.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी केकडी के पत्र दिनांक 17.09.2024 की अनुपालना में दिनांक 27.09.2024 को खेमाराम प्रवर्तन अधिकारी, केकडी द्वारा घरेलु एलपीजी गैस सिलेण्डर के दुरूपयोग की जांच करने मैसर्स जय कालिका होटल बान्दनवाडा अजमेर रोड बान्दनवाडा तहसील भिनाय की जांच करने पर मौके पर 05 घरेलू गैस सिलेण्डर (04 IOCL एवं 01 BPCL) पर चाय एवं अन्य खाद्य पदार्थ बनाकर ग्राहको को विकय किया जा रहा था। मौके पर उपस्थित फर्म मालिक श्री प्रभुलाल खटीक से उक्त घरेलु गैस सिलेण्डरो का व्यवसायिक कार्य में उपयोग लिये जाने के सबंध में पूछताछ पर घरेलु गैस सिलेण्डरो का चाय एवं अन्य खाद्य पदार्थ बनाकर ग्राहको को विकय किया जाना बताया। मौके पर श्री प्रभुलाल खटीक ने घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग के विषय में पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नही किया है न ही इस बाबत कोई लाईसेंस/परमिट/दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत किये है। उक्त 14.2 किलोग्राम गैस क्षमता के कुल 05 घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस (IOCL एवं BPCL) मार्का जब्त सरकार किया जाकर मौके पर ही मैसर्स नन्दहरी गैस एजेन्सी बान्दनवाडा के प्रोपराईटर श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री हरीलाल निवासी बान्दनवाडा को बुलवाकर तौल कार्यवाही करवाकर अग्रिम आदेशो तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिये गये। जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है–

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	152313	IOCL	15.400	15.400	00.00

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

2	07089	IOCL	29.800	15.900	13.900
3	358994	IOCL	15.600	15.600	00.00
4	197165	IOCL	16.00	16.00	00.00
5	095765	BPCL	17.00	17.00	00.00

इस प्रकार श्री प्रभुलाल खटीक द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किये जाने के कारण उक्त 05 घरेलू गैस सिलेण्डर, मय 13.900 किलोग्राम एलपीजी को जब्त सरकार कर मैसर्स नन्दहरी गैस एजेन्सी बान्दनवाडा के प्रोपराईटर श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री हरीलाल निवासी बान्दनवाडा को अग्रिम आदेशो तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिया गया है। श्री प्रभुलाल खटीक मैसर्स जय कालिका होटल अजमेर रोड बान्दनवाडा तहसील भिनाय द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डरो का व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) सी एवं 7 (1) सी का उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत जब्तशुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर, मय 13.900 किलो ग्राम एलपीजी को राजसात करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

उक्त पत्रावली जिला कलक्टर केकडी से प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता स्वयं उपस्थित। उभय पक्ष द्वारा सुनवाई चाहने पर बहस को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 27.09.2024 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) एवं 7(1) सी का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये 05 घरेलू गैस सिलेण्डर, मय 13.900 किलो ग्राम एलपीजी को राजसात फरमाया जावें।

अप्रार्थी अभिभाषक ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की मुझे जानकारी नहीं है। भविष्य में उक्त कृत्य नहीं किया जायेगा। अतः प्रकरण का निस्तारण कर जब्तशुदा सिलेण्डर अप्रार्थी को लौटावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया, प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 27.09.2024 में अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य स्वतः ही साबित है। स्वयं अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में भी जुर्म स्वीकार किया गया हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये 05 घरेलू गैस सिलेण्डर, मय 13.900 किलोग्राम एलपीजी

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबंधित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 02.04.2025 को खुले इजलास सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर